फर्द अहकाम

भूनेश बनाम नारायण वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 60/2021

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.08.2024	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील संख्या 149/2019 में जारी आदेश दिनांक 03.03.2020 में यह आदेश दिये गये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादी प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील संख्या 149/2019 में जारी आदेश दिनांक 03.03.2020 में यह आदेशानुसार पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशुपाल जाट उपस्थित। पत्रावली में उभयपक्षकारान को सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 459 रकबा 0.08 हैक्टयर स्थित ग्राम सायपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सीमाओं पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई सीमाचिन्ह स्थापित करवावे तथा कृषि भूमि खसरा संख्या 458 तथा 457 का बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करे कृषि भूमि का अकृषि भूमि मे परिवर्तित नही करने हेतु आदेश पारित [illegible] ग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 459 के भू–भाग पर [illegible] अतिक्रमण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:36:36 IST
Reason: SelfAttested

21.08.2024

भूनेश बनाम नारायण वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 60/2021

होने की अवस्था अतिक्रमण में अप्रार्थीगण को उक्त भू–भाग से बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया गया। प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा प्रार्थी की खसरा नम्बर 459 रकबा 0.08 हैक्टयर स्थित ग्राम सायपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित भूमि में कृषि कार्य होने की शर्त पर ही उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करे एवं सीमाज्ञान के आधार पर पारदर्शिता अपनाते हुये तथा समस्त उभयपक्षकारानों की उपस्थिति में कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर।

प्रार्थना–पत्र संख्या: 128/2016 60/21

1. भूनेश पुत्र बाबूलाल उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक म... जाति जागिड निवासी– ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर , जय...

बनाम

पुत्रान काना

1. नारायण
2. लक्ष्मण
3. धारीलाल पुत्र भौरीलाल

समस्त जागिडं निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जि...

आवेदन अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस...

श्रीमान्,

आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रार्थी की सहखातेदारी एवं कब्जेकाश्त की ... खसरा नम्बर 459 रकबा 0.08 हैक्टयर ग्राम सायपुर... तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है।
2. यह कि प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि की दक्षिणी दिशा ... अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 458 व 457 स्थित है।
3. यह कि प्रार्थी की खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि ... दक्षिणी दिशा की सीमा पर विधिवत् परिनिर्मित स्थाई... नहीं किये गये है।
4. यह कि दिनांक 22–11–2016 को अप्रार्थीगण एक... वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 459 की दक्षिणी... विधिवत् स्थाई सीमा चिन्हो के कायम हुए बिना ही ... के कर्मचारीयो से मिलकर अपनी खातेदारी की भूमि... 457 मे गैर कानूनी तरीके से कृषि भूमि को वि... अनुमति प्राप्त करे अकृषि भूमि अर्थात आवासीय का... आमदा है जिसके अनुारण मे अप्रार्थीगण ने मौके ... प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्त सीमा पर रोड ... करने हेतु तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि बनाने से...

बीना

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:36:36 IST
Reason: SelfAttested